

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

राज्य स्तरीय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन समिति (NMSA)

6 वीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश

Phon 0755-2760200 Fax-2768159

e-mail-nmsahorti@mp.gov.in, Website-www.mphorticulture.gov.in

क्रमांक/उद्यान/OFWM/4/2015-16/740

भोपाल, दिनांक 18/6/15

प्रति,

1. कलेक्टर
सह अध्यक्ष
सह सदस्य सचिव
जिला सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन समिति
जिला

2. उप/सहायक संचालक उद्यान
सह सदस्य सचिव
जिला सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन समिति
जिला

विषय:- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) के घटक ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट (OFWM) योजनांतर्गत पंजीकृत निर्माता कंपनियों की 10 प्रतिशत राशि रोकने के संबंध में ।

सन्दर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र./उद्यान/माइको/4/2015-16/682 दिनांक 23.05 2015

सन्दर्भित पत्र द्वारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) के घटक ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट (OFWM) योजनांतर्गत पंजीकृत निर्माता कंपनियों द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रतिष्ठापन उपरान्त संबंधित प्रदायक संस्था को शतप्रतिशत भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे ।

राज्य स्तरीय समिति की तृतीय बैठक दिनांक 9 जून 2015 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार सिस्टम स्थापना की भौतिक सत्यापन एवं कृषक संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त निर्माता कंपनी को 90 प्रतिशत भुगतान किया जावे शेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान छः माह बाद किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त न होने पर किया जावेगा । यदि निर्माता कंपनी रोकी जाने वाली 10 प्रतिशत राशि के समतुल्य राशि की बैंक गारंटी संचालनालय स्तर पर जमा करती है तो उसको रोकी गई राशि का भुगतान किया जावे ।

संचालक सह-सदस्य सचिव

स्टेट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन समिति

NMSA भोपाल

भोपाल, दिनांक 18/6/15

क्रमांक/उद्यान/OFWM/4/2015-16/741

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. संयुक्त संचालक उद्यान संभाग

2. संबंधित निर्माता कंपनी

संचालक सह-सदस्य सचिव

स्टेट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन समिति

NMSA भोपाल